साहिबगंज नगर परिषद्, साहिबगंज।

पत्रांक–333/न0प0, दिनांक– 8-2-18

–: आवश्यक सूचना :–

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियक–2011 की सुसंगत धाराओं के तहत् आम नागरिकों को पुनः सूचित किया जाता है कि :–

1. जिनके द्वारा अभी तक दुकान एवं मकान, प्रतिष्ठान का होल्डिंग टैक्स सैफ फार्म में भरकर जमा नहीं किया गया है वे अपना सम्पत्ति कर विभागीय अधिसूचना सं0–7891 दिनांक–12.12.2017 के आलोक में दिनांक–31 मार्च,2018 तक बिना जुर्माना राशि के अदा कर सकते हैं। इसके पूर्व भी आम नागरिकों को इसकी सूचना दी जा चुकी है।

2. झारखण्ड सरकार के अधिसूचना के आलोक में सूचित किया जाता है कि प्लास्टिक कैरी बैग का विनिर्माण, भण्डारण, आयात, विक्रय या परिवहन अथवा सामग्री को बेचना पूर्णताः प्रतिबंधित है। कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक कैरी बैग विनिर्माण, भण्डारण, आयात, विक्रय या परिवहन अथवा प्लास्टिक कैरी बैग में सामग्री को बेचते पाया जाता है तो नियमानुसार दण्ड सहित कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

3. सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि साहिबगंज नगर परिषद् के द्वारा बड़े एवं छोटे नालियों का विशेष साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। जिनके द्वारा भी दुकान/मकान के बाहर नालियों का अतिक्रमण किया गया है वे सड़क एवं नालियों को अतिक्रमण मुक्त करना सुनिश्चित करेगें। अन्यथा नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जायेगी। इस संबंध में पूर्व में भी माईकिंग एवं समाचार पत्रों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा चुका है।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद साहिबगंज।

ज्ञापांक 333 / SBM, साहेबगंज, दिनांक – 8-2-18

प्रतिलिपि– प्रचारक, विजय चौरसिया, साहेबगंज को आदेश दिया जाता है कि उक्त सूचना का प्रचार–प्रसार अपने ध्वनि विस्तारक यंत्र से लगतारं 7 दिनों तक सभी वार्डो मे करना सुनिचित करेगें। (बाजार, मार्केट एरिया (एन0एच0–80) में ज्यादा से ज्यादा प्रचार करेगें तथा मुख्य–मुख्य स्थान के स्थानीय नागरिकों से प्रचार नोटिस में हस्ताक्षर करा कर अभिश्रव प्रस्तुत करेगें।)

प्रतिलिपि– निदेशक, न0प्र0नि0 झारखण्ड सरकार रॉची/ उपायुक्त, साहेबगंज/ अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–सभी नोडल पदाधिकारी/AE/ SBM प्रभारी/ PMAY शाखा/ सफाई प्रभारी/NULM/ स्वच्छताग्रही/सभी तहसीलदार/TD/SPS/ सभी वार्ड उप उपसमिति, नं0प0 से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सभी वार्ड पार्षद को पुनः सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– संपादक, सभी दैनिक समाचार पत्रों को पुनः सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– स0लेखापाल/नाजिर, सा0 नगर परिषद् को सूचनार्थ। आदेश दिया जाता है कि विभागीय अधिसूचना सं0–7891 दिनांक–12.12.2017 एवं पत्रांक–464 दिनांक–27.01.2018 के आलोक में प्रचार–प्रसार का बील का भुगतान SPS के द्वारा किया जायेगा।

कार्यपालक पदाधिकारी
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद साहिबगंज